न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० — 61 / 2024

उनवान : —

1. सन्तरों पत्नी नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा। —प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरेवेन्यू एक्ट
उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी
दिनांक

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 13/36 के मु० न० 29 के किला न० 21, मु० न० 30 के किला न० 1, 10, 11, 20, मु० न० 31 के किला न० 21 ता 25, मु० न० 32 के किला न० 24, 25, मु० न० 43 के किला न० 8, 9, 10, मु० न० 50 के किला न० 18/1, 18/2 कुल 3.2770है० नहरी, बारानी मय रास्ता में सन्तोष पत्नी नत्थूराम के नाम 1/12 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम सन्तरों के स्थान पर पर अशुद्ध नाम सन्तोष पत्नी नत्थूराम दर्ज है.

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम सन्तरों दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग—उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्धि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं० 13/36 के मु० न० 29 के किला न० 21, मु० न० 30 के किला न० 1, 10, 11, 20, मु० न० 31 के किला न० 21 ता 25, मु० न० 32 के किला न० 24, 25, मु० न० 43 के किला न० 8, 9, 10, मु० न० 50 के किला न० 18/1, 18/2 कुल 3.2770है० नहरी, बारानी मय रास्ता में सन्तोष पत्नी नत्थूराम के नाम 1/12 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम सन्तरों के स्थान पर पर अशुद्ध नाम सन्तोष पत्नी नत्थूराम दर्ज है, अतः प्रार्थी का [illegible] के स्थान पर पर प्रार्थीया का सही नाम सन्तरों पत्नी नत्थूराम दर्ज किया [illegible] ताकि प्रार्थीया अपनी बाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:31:40 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 /38 के मु0 न0 29 के किला न0 21, मु0 न0 30 के किला न0 1, 10, 11, 20, मु0 न0 के किला न0 21 ता 25, मु0 न0 32 के किला न0 24, 25, मु0 न0 43 के किला न0 8, 9, , मु0 न0 60 के किला न0 18/1, 18/2 कुल 3.2770है0 नहरी, बारानी मय रास्ता में सन्तोष पत्नी नत्थूराम के नाम 1/12 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम सन्तरों पत्नी नत्थूराम के स्थान पर पर अशुद्ध नाम सन्तोष पत्नी नत्थूराम दर्ज है अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम सन्तोष पत्नी नत्थूराम की जगह सही नाम सन्तरों पत्नी नत्थूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि सन्तोष पत्नी नत्थूराम के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम सन्तोष पत्नी नत्थूराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 2/6/25........ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.06 16:31:40 IST
Reason: SelfAttested